

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 606
अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए


निर्णय दिनांक:- 15-06-2018

प्रार्थी श्री कालीया पि० पुंजा मीजा :: निर्णय ::

जति मीजा उम नि० पालवडी तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदाबत पालवडी दिनांक 15-06-18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले०रे०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मीजा पालवडी पंचायत समिति दोवडा में स्थित खाता संख्या 56 पर आराजी नं० 3373 कुल — बीघा 15 बिस्वा किता 1 योग रकबा 15 बिस्वा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लडाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगडी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी मोहन लाल नि० पालवडी ने भी पत्थरगडी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पालवडी के खसरा नं० 3378 रकबा 1 बीघा — बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 1 बिस्वा की जमाबंदी सन्वत् 2071-74 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है और विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मीजा पालवडी में स्थित खाता संख्या 56 पर आराजी नं० 3373 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 15 बिस्वा की पत्थर गडी कराने का हकदार है।

लिहाजा मीजा पालवडी ने स्थित खाता संख्या 56 पर आराजी नं० 3373 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 15 बिस्वा विवादग्रस्त आराजी की पत्थरगडी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, डूंगरपुर भू०अ० निरीक्षक राजमौर्या के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गडी की जाये। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगडी शुल्क रू० 400/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा कराये तभी पत्थरगडी की जाये। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर